

दवा उद्योग द्वारा प्रायोजित शोध पर

सवाल

दुनिया भर की कई प्रमुख चिकित्सा शोध पत्रिकाओं ने एक उल्लेखनीय फैसला किया है। द न्यू इंग्लैण्ड जर्नल ऑफ मेडिसिन और लैंसेट जैसी इन शोध पत्रिकाओं ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि वे दवा उद्योग द्वारा प्रायोजित चिकित्सा अनुसंधान के नतीजों को प्रकाशित करने में कई सावधानियां बरतेंगी। इन शोध पत्रिकाओं को यह रुख इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि देखा गया है कि अनुसंधान को प्रायोजित करने वाली दवा कम्पनियां अनुसंधान की डिजाइन व आंकड़ों के विश्लेषण को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। कई बार तो आंकड़े रास न आने पर उन्हें दबाया भी जाता है। यह बात खास तौर से दवाइयों के क्लिनिकल परीक्षण के संदर्भ में देखने में आती है।

हो सकता है कि दवा कम्पनियां इस फैसले का विरोध करें लेकिन यह फैसला बेबुनियाद नहीं है। कई सर्वेक्षणों से पता चला है कि जब कोई दवा कम्पनी क्लिनिकल परीक्षण का पैसा देती है तो उस परीक्षण के नतीजे सकारात्मक होने की सम्भावना ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नतीजे नकारात्मक होने पर उन्हें प्रकाशन के लिए भेजा ही नहीं जाता।

मसलन, दवा कम्पनी नोल फार्मास्यूटिकल्स का मामला गौरतलब है। इस कम्पनी द्वारा प्रायोजित एक परीक्षण में पता चला था कि थायरॉएड की सामान्य नाम वाली औषधि और नोल कम्पनी की ब्राण्ड नाम वाली औषधि की कारगरता समान है। कम्पनी ने सात वर्षों तक इन परिणामों को

प्रकाशित नहीं होने दिया था। ऐसे तथ्य भी तभी पता चलते हैं जब कोई वैज्ञानिक जबान खोले। लेकिन वित्त का अहम सवाल कई वैज्ञानिकों को चुप बनाए रखता है जबकि कई वैज्ञानिक तो आंकड़ों में हेराफेरी करने तक से नहीं चूकते।

इन सब मामलों से निपटने के लिए शोध पत्रिकाओं ने तय किया है कि दवाओं के परीक्षण सम्बंधी कोई भी शोधपत्र तभी प्रकाशित किया जाएगा जब शोधकर्ता एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर कर घोषित करे कि वे पर्चे में लिखित सारे आंकड़ों व निष्कर्षों की ज़िम्मेदारी लेते हैं। पता नहीं इस तरह का हलफनामा किस हद तक कारगर होगा। अलबत्ता, शायद शोध पत्रिकाएं और अनुसंधान संस्थान इस सम्बंध में कुछ और कदमों पर भी विचार करेंगे।

मसलन, कई संगठनों ने मिलकर तमाम क्लिनिकल द्रायल का एक रजिस्टर शुरू किया है। यह अभी तक एक स्वैच्छिक व्यवस्था है। किसी भी क्लिनिकल परीक्षण की जानकारी शुरुआत से ही इसमें दर्ज की जा सकती है और समय-समय पर नई जानकारी भी इसमें डाली जा सकती है। इससे फायदा यह होता है कि उन परीक्षणों की जानकारी भी जमा होती रहती है, जिन्हें शायद बीच में ही छोड़ दिया गया हो या प्रकाशित न किया गया हो। लेकिन यह स्वैच्छिक है। इसे अनिवार्य बनाने पर विचार किया जा सकता है। मूल बात यह है कि जितनी अधिक जानकारी सार्वजनिक दायरे में हो, उतनी ही यह सम्भावना कम हो जाती है कि उसमें हेराफेरी की जाएगी। (स्रोत विशेष फ्रीचर्स)